[2018] 13 एस. सी. आर 1242

उर्वशीबेन और ए. एन. आर.

वी.

कृष्णकांत मनुप्रसाद त्रिवेदि

(सिविल अपील सं। 12070-71 2018 का)

14 दिसंबर, 2018

[उदय उमेश ललित और आर. सुभाष रेड्डी, जे. जे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.VII, आर. 11 (डी)-अस्वीकृति

प्रत्यर्थी-वादी का मामला यह था कि पूर्ववर्ती के शीर्षक में अपीलार्थी-प्रतिवादी मुक़दमे की संपत्ति उसे बेचने के लिए सहमत हुए थे

और बिक्री पर विचार करने के लिए बेचने का समझौता निष्पादित किया

समय था।

अनुबंध का सार नहीं कुल विचार राशि थी

प्रत्यर्थी द्वारा भुगतान-प्रत्यर्थी ने लगभग 25 वर्षों के बाद संपत्ति का दौरा किया और पाया कि सूट संपत्ति तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी--

बेचने के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दायर किया गया मुकदमा

सी. पी. सी. ने इस आधार पर शिकायत को अस्वीकार करने के लिए कि मुकदमा द्वारा वर्जित था सीमा-निचली अदालत द्वारा अनुमति प्राप्त आवेदन-हालांकि, आदेश

उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः जब अस्वीकृति

यू/ओआर द्वारा दायर आवेदन में शिकायत की मांग की जाती है। VII, आर. 11 वही होना है

प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, कथनों को देखते हुए इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से वाद में किया गया

- तत्काल मामले में, शुद्धता दर्ज करना परीक्षण का विषय है या

अन्यथा वाद में लगाए गए आरोपों के गुण और दोष आवेदन पर निर्णय लेते समय मामले पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है।

फाइल यू/Or.VII, सी. पी. सी. का आर. 11-इस स्तर पर केवल वाद में अभिकथनों पर विचार किया जाना है और हाथ में मामले में वाद में अभिकथनों को पढ़ने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद द्वारा वर्जित किया गया था

समझौते में, मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की सीमा विशिष्ट प्रदर्शन तब शुरू होगा जब वादी ने ध्यान दिया होगा

कि प्रतिवादी ने समझौते के निष्पादन से इनकार कर दिया है -

यह मुद्दा कि वादी ने इनकार कब देखा था, एक ऐसा मुद्दा है जो परीक्षण के बाद निर्णय लिया जा सकता है-सीमा अधिनियम, 1963-Art.54।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने पकड़नाः 1. सीमा के अनुच्छेद 54 को पढ़ने से

अधिनियम, 1963, यह स्पष्ट है कि जब प्रदर्शन के लिए तारीख तय की जाती है,

सीमा ऐसी तारीख से तीन साल है। यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, तो तीन साल की अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब वादी को इनकार करने की सूचना हो। जब O.VII R. 11 के तहत दायर आवेदन में शिकायत की अस्वीकृति मांगी जाती है, तो इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, वाद में किए गए कथनों को देखते हुए, प्रत्येक मामले के तथ्यों से इस पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि शिकायत में कहा गया है, यह वादी का मामला है कि पूरी राशि के भुगतान के बाद भी दस्तावेज़ का पंजीकरण नहीं किया गया था और कुछ आधारों पर लंबा किया गया था और अंततः जब उसने साइट का दौरा किया था, तो उसे पता चला था कि वही भूमि तीसरे पक्ष को बेची गई थी और अपीलकर्ताओं ने अनुबंध के प्रदर्शन से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में, वाद में लगाए गए ऐसे आरोप की शुद्धता या अन्यथा दर्ज करना परीक्षण का विषय है। अनुच्छेद के दूसरे अंग में आने वाले विशिष्ट निष्पादन के मुकदमों में, तीन साल की अवधि को उस तारीख से गिना जाना है जब वादी के ध्यान में आया था कि प्रतिवादी द्वारा निष्पादन से इनकार कर दिया गया है। कार्रवाई और सीमा के उद्देश्य के लिए जब यह अनुरोध किया जाता है कि जब उन्होंने साइट का दौरा किया था, तो उन्हें पता चला था कि बिक्री तीसरे पक्ष के पक्ष में की गई थी और अपीलकर्ताओं ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया है, जिस स्थिति में यह मुकदमे के बाद न्यायनिर्णयन का मामला है, लेकिन सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 (डी) के तहत शिकायत की अस्वीकृति का मामला नहीं है। [पैरा 12] [1249-डी-जी]

2. अनुच्छेद 54 के दूसरे अंग में आने वाले मामलों में, साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही निष्कर्ष दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा, जब

समझौते में समय तय नहीं है, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की सीमा तब शुरू होगी जब

वादी ने देखा है कि प्रतिवादी ने समझौते के निष्पादन से इनकार कर दिया है। [पैरा 14] [1251-ई-एफ] 3. तत्काल मामले में, आवेदन पर निर्णय लेते समय इस स्तर पर मामले के गुण-दोषों पर गौर नहीं किया जा सकता है।

सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 के तहत दाखिल किया गया। यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि इस स्तर पर केवल वाद में किए गए कथनों पर ही विचार किया जाना है और

हाथ में मामले में वाद में कथनों को पढ़ने से, यह नहीं कहा जा सकता है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है। यह मुद्दा कि वादी ने इनकार कब देखा था, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुकदमे के बाद निर्णय लिया जा सकता है। यह मानते हुए भी कि वादी की ओर से अत्यधिक देरी और अड़चनें हैं, यह [2018] 13 एस नहीं हो सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

([पैरा 15] [1252-ए-सी] के O.VII आर. 11 (डी) के तहत शिकायत की अस्वीकृति के लिए आधार

गुणवंतभाई मूलचंद शाह और अन्य। वी. एंटोन एलिस

फरेल और ओआरएस। (2006) 3 एससीसी 634: [2006] 2 एस. सी. आर. 886; रत्नवती और अन्न। वी. कविता गणशमदास (2015) 5 एस. सी. सी. 223; बालसरिया कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम। हनुमान सेवा ट्रस्ट और अन्य। (2006) 5 एस. सी. सी. 658; छोटानबेन और अन्न। वी. किरीटभाई जलकृष्णाभाई ठक्कर और अन्य। (2018)

6 एससीसी 422: [2018] 3 एस. सी. आर. 422-पर निर्भर।

प्रभाकर बनाम। संयुक्त निदेशक, रेशम उत्पादन विभाग और एएनआर। (2015) 15 एस. सी. सी. 1; टी. अरिवंदम बनाम। टी. वी. सत्यपाल और अन्न (1977) 4 एस. सी. सी. 467: [1978] 1 एस. सी. आर. 742; हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम। हेड एंड कंपनी (2007) 5 एस. सी. सी. 614: [2007] 6 एस. सी. आर. 608; दिलबू (श्रीमती) (मृत) एलआर और ओआरएस द्वारा। वी. धनराजी (श्रीमती) (मृत) और ओआरएस। (2000) 7 एससीसी 702: [2000] 3 पूरक। एससीआर 214; आई. टी. सी लिमिटेड बनाम ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य। (1998) 2 एससीसी 70: [1997] 6 पूरक। एस. सी. आर. 683; एल. आर. के माध्यम से राज नारायण सरीन (मृत)। & ओआरएस। वी. लक्ष्मी देवी और अन्य। (2002) 10 एस. सी. सी. 501; एन. वी. श्रीनिवास मूर्ति और अन्य। वी. प्रस्तावित एल. आर. द्वारा मरियम्मा (मृत)। & ओआरएस। (2005) 5 एससीसी 548: [2005] 1 पूरक। एस. सी. आर. 411; मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद जलाल (2017) 13 एससीसी 174 [2017] 5

एससीआर 294; चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और

एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी v. पोन्नियम्मन

एजुकेशनल ट्रस्ट (2012) 8 एससीसी 706: [2012] 6 एससीआर 404; मदीना बेगम और अन्न। वी. शिव मूर्ति प्रसाद पांडे और ओआरएस। (2016) 15 एस. सी. सी. 322 [2016] 5 एस. सी. आर. 92; प्रस्तावित अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत)

एल. आर. वी. बीबीजान और ओआरएस। (2009) 5 एससीसी 462: [2009] 5

एस. सी. आर. 476-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

(2015) 15 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1978] 1 एससीआर 742

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2007] 6 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2000] 3 पूरक। एससीआर 214

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[1997] 6 पूरक। एससीआर 683

संदर्भित किया गया है

उर्वशीबेन और ए. एन. आर. वी. कृष्णकांत मनुप्रसाद त्रिवेदि 2002) 10 एस. सी. सी. 501 पैरा 7 2005] 1 का उल्लेख किया गया है। एस. सी. आर. 411 को 2018 के सिविल आवेदन संख्या 1 के साथ 2018 की पहली अपील संख्या 160 में अहमदाबाद में पैरा 7 2018 2009 2006 कोर्ट गुजरात को संदर्भित किया गया है। अंशिन एच. देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शिव मंगल शर्मा, पार्थ ठेकेदार, सौरभ राजपाल, कार्तिकेय भट्ट, एम/एस। औरा एंड कंपनी, अपीलकर्ताओं की वकालत करती है। दुष्यंत ए. दवे, सुश्री मीनाक्षी अरोड़ा, वरिष्ठ अधिवक्ता। , Ms.Monisha हांडा, मोहित डी. राम, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए। न्यायालय का निर्णय आर. सुभाष द्वारा दिया गया था। रेड्डी, जे. 1. छुट्टी दे दी गई। 2. गुजरात उच्च न्यायालय के 2018 के आवेदन संख्या 1 की नियमित प्रथम अपील संख्या 1 में पारित निर्णय और डिक्री से व्यथित सिटी सिविल कोर्ट, अहमदाबाद की फाइल पर 2017 के सिविल No.930 में प्रतिवादियों द्वारा इन दीवानी अपीलों को प्राथमिकता दी जाती है। 3. प्रत्यर्थी-वादी ने 2017 का सिविल सूट No.930 दायर किया है जो अनुसूचित संपत्ति के संबंध में दिनांक 13.03.1992 के समझौते का विशिष्ट प्रदर्शन है, यानी अहमदाबाद के मौजे शेखपुर-खानपुर की नगर योजना योजना संख्या 3 का अंतिम भूखंड संख्या 147, जिसका अर्थ है Sq.Mtrs। यह वादी का मामला है कि पूर्ववर्ती-अपीलार्थी-प्रतिवादी, चैतन्यभाई पटेल, [2018] 13 एस. सी. आर. के लिए सहमत हुए थे।

2017] 5 एस. सी. आर. 294 पैरा 7 में निर्दिष्ट है।

2006] 2 एस. सी. आर. 886 पैरा 8 पर निर्भर था। 2015) 5 एस. सी. सी. 223 पैरा 8 पर निर्भर था।

2016] 5 पैरा 8 को संदर्भित एस. सी. आर. 92] 3 एस. सी. आर. 422 पैरा 8 पर निर्भर था।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 12070 2018 से। उच्च न्यायालय के 10.07.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

25.05.2017 पर संपत्ति उसे पता चला है कि उक्त संपत्ति कीमतों में वृद्धि को देखते हुए तीसरे पक्ष को बेची गई थी। शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने व्यक्त किया है कि वे बिक्री विलेख को निष्पादित नहीं करेंगे। इसलिए मुकदमा दायर किया जाता है। 4. उपरोक्त मुकदमे में, अपीलार्थी-प्रतिवादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश VII नियम 11 (डी.) के तहत इस आधार पर वाद को अस्वीकार करने के लिए आवेदन दायर किया है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित है। उक्त आवेदन को यहाँ प्रतिवादी द्वारा चुनौती दी गई थी। हालाँकि, निचली अदालत ने दिनांक 27.12.2017 के आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार कर लिया और शिकायत को अस्वीकार करने का आदेश दिया।

5. इसके विपरीत, प्रतिवादी-वादी ने गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष 2018 की नियमित प्रथम अपील No.160 को प्राथमिकता दी। अहमदाबाद। 10.07.2018 के फैसले और डिक्री द्वारा, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के दिनांक 27.12.2017 के आदेश को दरकिनार करके प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। इसके विपरीत, ये दीवानी अपीलें दायर की जाती हैं।

6. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अंशिन एच. देसाई और श्री अंशिन एच. देसाई को सुना है। दुष्यंत दवे, के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रतिवादी-वादी।

7. इन अपीलों में, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री देसाई ने तर्क दिया है कि कथित समझौता बिक्री के लिए है।

दिनांक 1 है और मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया गया है, यानी 25 साल की अवधि के बाद और यहां तक कि प्रतिवादी वादी के मामले के अनुसार 1992 से 2017 की अवधि के बीच कोई संवाद नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह कहने के अलावा कि उन्होंने 25.05.2017 पर साइट का दौरा किया था, जिस तारीख को उन्हें पता चला है कि उक्त भूखंड तीसरे पक्ष को बेचा गया है, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मुकदमा सीमा के भीतर है।

परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 54 का उल्लेख करते हुए विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि तीन साल का कृष्णकांत मनुप्रसाद रेड्डी, जे.] निर्धारित समय के अभाव में भी यह होना चाहिए कि बिक्री को निष्पादित करने से इनकार करने पर साइट का दौरा करने की प्रतीक्षा करके दायर किया गया मुकदमा तुच्छ है, यह तर्क देते हुए कि बिक्री विलेख में भी, यह कथित बिक्री के 25 साल नहीं हैं कि विचार के माध्यम से किसी भी भुगतान द्वारा तथाकथित भुगतान का भुगतान किया जाता है, उक्त वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अच्छी तरह से तर्क दिया कि अस्वीकृति के लिए उसके मामले के बिना v. संयुक्त निदेशक, वी. टी. वी. सत्यपाल; दिलबू (श्रीमती) (मृत Ors.4; I. T. C. लिमिटेड Ors.5; राज नारायण सरीन और अन्य। ; एन. वी. श्रीनिवास ने एल. आर. प्रस्तावित किए। & Ors.7; जलाल

उर्वशीबेन और ए. एन. आर. वी. त्रिवेदि [आर. सुभाष बिक्री विलेख को निष्पादित करते हुए, इनकार करने की तारीख से अवधि। यह वर्षों के लिए प्रस्तुत किया जाता है और केवल यह बताते हुए कि किस तारीख को, अपीलकर्ताओं के पास ऐसा मुकदमा दायर किया जाता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पूर्व-दृष्टया सीमा द्वारा वर्जित है। यह प्रत्यर्थी-वादी को निष्पादित करने के लिए किसी भी अवधि को तय कर रहा है ताकि बिक्री के समझौते के बाद मुकदमा दायर किया जा सके। यह आगे कहा गया है कि बिक्री अपंजीकृत है, अस्पष्ट रूप से समर्थित नहीं है जिसमें कहा गया है कि 15.01.1990 दाखिल की गई अवधि के दौरान नकदी की पूरी राशि। यह तर्क दिया जाता है कि निचली अदालत द्वारा पारित विद्वान द्वारा न्यायोचित रूप से दरकिनार किया जाता है और एजुकेशनल चैरिटेबल डेव के मामले में, वरिष्ठ विद्वान ने कहा कि अपीलार्थी-सी. पी. सी. का O.VII आर. 11 (डी) है। यह तर्क कारणों का सार नहीं था। O.VII R. 11 के तहत, विद्वान वकील के पास प्रभाकर विभाग & Anr.[1]; टी. अरिवंडम हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम के मामले में अदालत है। हेडे एंड कंपनी 3 ओआरएस। वी. धनराजी (श्रीमती) (मृत) और वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और एल. आर. के माध्यम से। & ओआरएस। वी. लक्ष्मी देवी ओआरएस। वी. मरियम्मा (मृत)-राम चंद्र मूर्ति बनाम। सैयद क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट और पोन्नियम्मन एजुकेशनल ट्रस्ट। 8. दूसरी ओर एस. प्रत्यर्थी की ओर से पेश दुषांत ने इस आधार पर शिकायत को खारिज करने की मांग की है कि मुकदमा सीमित विद्वान वकील द्वारा वर्जित है कि निर्विवाद रूप से समय 2015) 15 एससीसी 1 1977) 4 एससीसी 467 2007) 5 एससीसी 614 2000) 7 एससीसी 702 1998) 2 एससीसी 70 2002) 10 एससीसी 501 2005) 5 एससीसी 548 2017) 13 एससीसी 174 2012) 8 एससीसी 706 [2018] 13 एस. सी. आर.

जिस स्थिति में सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 54 के अनुसार, सीमा की अवधि इनकार करने की तारीख से तीन साल है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीमा तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न होने के कारण, क्या मुकदमा अस्वीकार करने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर दायर किया जाता है, एक परीक्षण योग्य मुद्दा है, जिसे परीक्षण के बाद ही निर्णय दिया जा सकता है, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। इस स्तर पर शिकायत की अस्वीकृति। यह प्रस्तुत किया जाता है कि O.VII R. 11 (d) के तहत आवेदन पर विचार करने के उद्देश्य से, वाद में स्पष्ट कथन देखे जाने चाहिए और O.VII R. 11 (d) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए कोई अन्य आधार आधार नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी दिए गए मामले में वाद में किए गए अभिकथनों से, आर. 11 के तहत वाद खारिज किया जाना है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में विचार किया जाना है और मामले से, यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद सीमितता से वर्जित है, केवल वाद में किए गए अभिकथनों को देखकर। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा दिए गए सभी उद्धरण मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं और उनकी दलीलों के समर्थन में, गुणवंतभाई मूलचंद के मामले में निर्भरता रखी गई है।

शाह और ओआरएस। वी. एंटोन एलिस फेरेल और ओआरएस। 10 ; रत्नवती और अन्न। वी. कविता गणशमदास "; मदीना बेगम और अन्न। वी. शिव मूर्ति प्रसाद पांडे और Ors.[1]2 और छोटनबेन और अन्न। वी. किरीटभाई

जलक्रुष्णाभाई ठक्कर और Ors.[13]।

9. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, हमारे पास है

गौर किया।

निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश और अभिलेख पर रखी गई अन्य सामग्री।

10. निचली अदालत ने अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार कर लिया है

प्रतिवादियों ने यह निष्कर्ष निकालकर कि प्रतिवादी-वादी ने चतुराई से मसौदा तैयार करके कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है और कहा है कि 25.05.2017 पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ है, लेकिन वह मुकदमा दायर करने में अनुचित देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहे। निचली अदालत ने आगे कहा कि

जब वादी ने 25 वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की है, तो चतुराई से मसौदा तैयार करके, वादी सीमा की अवधि के भीतर कार्रवाई नहीं कर सकता है। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित होने के कारण, सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 (डी) के तहत अस्वीकृति को आकर्षित करता है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को एक निष्कर्ष दर्ज करके दरकिनार कर दिया है कि मुकदमे में स्पष्ट कथनों के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह सीमा द्वारा वर्जित है।

1 0 10 (2006) 3 एस. सी. सी. 634 1 (2015) 5 एस. सी. सी. 223 12 (2016) 15 एस. सी. सी. 32213 (2018) 6 एस. सी. सी. 422 उर्वशीबेन और ए. एन. आर.

वी. कृष्णकांत मनुप्रसाद त्रिवेदी [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] 11. यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि, जहां तक सीमा का सवाल है, यह तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल है। यह सच है कि सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 (डी) के तहत शक्तियों के प्रयोग में शिकायत की अस्वीकृति के लिए सीमाएं आधार हो सकती हैं। समान रूप से, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि O.VII R. 11 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से केवल बयानों में कहा गया है कि अकेले वाद पर ध्यान दिया जा सकता है, मामले के गुण-दोष और दोषों पर पक्षकारों द्वारा लगाए गए आरोपों पर गौर नहीं किया जा सकता है। सीमा का अनुच्छेद 54 अधिनियम, 1963 सूट विशिष्ट प्रदर्शन के लिए तीन साल की सीमा निर्धारित करता है। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार हैः विशिष्ट 3 वर्षों के लिए वाद निष्पादन प्रदर्शन के लिए निर्धारित तिथि, या, यदि ऐसी तिथि निर्धारित है, तो वादी ने नोटिस दिया है कि निष्पादन से इनकार कर दिया गया है। उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रदर्शन के लिए तारीख तय की जाती है, तो सीमा तीन साल की होती है। यदि ऐसी कोई तिथि निर्धारित नहीं है, तो तीन साल की अवधि की गणना उस तारीख से की जानी चाहिए जब वादी को इनकार करने की सूचना दी जाती है। जब O.VII आर. 11 के तहत दायर आवेदन में वाद की अस्वीकृति मांगी जाती है, तो इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, वाद में किए गए कथनों को देखते हुए, प्रत्येक मामले के तथ्यों से इस पर विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि वाद में कहा गया है, यह वादी का मामला है कि पूरी प्रतिफल राशि के भुगतान के बाद भी दस्तावेज़ का पंजीकरण नहीं किया गया था और कुछ आधारों पर लंबा समय तक चलाया गया था और अंततः जब उसने 25.05.2017 पर साइट का दौरा किया था तो उसे पता चला था कि वही भूमि तीसरे पक्ष को बेची गई थी और अपीलकर्ताओं ने अनुबंध के प्रदर्शन से इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति में, शिकायत में किए गए सही या अन्यथा ऐसे आरोप को दर्ज करना परीक्षण का विषय है। अनुच्छेद के दूसरे अंग में आने वाले विशिष्ट निष्पादन के मुकदमों में, तीन साल की अवधि को उस तारीख से गिना जाना है जब यह वादी के ध्यान में आया था कि प्रतिवादी द्वारा निष्पादन को अस्वीकार कर दिया गया है। कारण कार्रवाई और सीमा के उद्देश्य से जब यह अनुरोध किया जाता है कि जब वह 25.05.2017 पर गया था तो उसे पता चला था कि बिक्री तीसरे पक्ष के पक्ष में की गई थी और अपीलकर्ताओं ने बिक्री विलेख को निष्पादित करने से इनकार कर दिया है जो कि मुकदमे के बाद निर्णय के लिए एक मामला है, लेकिन सीपीसी के O.VII R. 11 (d) के तहत शिकायत की मामला अस्वीकृति नहीं है। 13. अपीलार्थियों के वकील ने प्रभाकर (उपरोक्त) के मामले में फैसले पर भरोसा रखा है। उपर्युक्त मामले में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, जहां संविधि [2018] 13 एस. सी. आर. द्वारा कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

अदालतें विलम्ब/विलम्ब/स्वीकृति के सिद्धांत को लागू करती हैं और गैर-वाद वादी जो उचित स्पष्टीकरण के बिना देर से अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। प्रत्येक मामले के तथ्यों के संदर्भ में विलंब और विलंब की जांच की जानी चाहिए और उक्त निर्णय अपीलार्थी के मामले का समर्थन करने में सहायक नहीं है क्योंकि यह मामला सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 (डी) के तहत दायर आवेदन से उत्पन्न होता है। टी. अरिवंदम (उपरोक्त) के मामले में निर्णय किरायेदार द्वारा चुनौती दिए गए किरायेदार परिसर से बेदखली से संबंधित है। उक्त मामले में जहां O.VII R. 11 (d) के तहत वाद की अस्वीकृति पर इस आधार पर विचार किया गया था कि वाद कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, लेकिन सीमा के आधार पर वाद की अस्वीकृति के लिए मामला नहीं है। हरदेश अयस्क (उपर्युक्त) के मामले में यह सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 54 के पहले अंग में आने वाला मामला था, लेकिन दूसरे अंग के तहत आने वाला मामला नहीं था, जहां समय अनुबंध का सार नहीं है। दिलबू (मृत) (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय में इस न्यायालय ने सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 की प्रयोज्यता के प्रासंगिक सिद्धांतों पर विचार किया है। समान रूप से, आई. टी. सी. लिमिटेड (उपरोक्त) का मामला O.VII आर. 11 (ए) के तहत शिकायत की अस्वीकृति से संबंधित मामला है, लेकिन सीमा के आधार पर अस्वीकृति का मामला नहीं है। राज नारायण सरीन (उपरोक्त) के मामले में बिक्री विलेख के निष्पादन के 40 साल बाद मुकदमा दायर किया गया था और वास्तव में यह पाया गया कि बिक्री विलेख वादी की जानकारी में था और उसने बिक्री विलेख को अमान्य घोषित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। उस संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा O.VII R. 11 के तहत पारित आदेश की पुष्टि की गई थी। एन. वी. के मामले में श्रीनिवास (ऊपर) मुकदमा घोषणा के लिए है लेकिन विशिष्ट प्रदर्शन के लिए नहीं है और उक्त मुकदमे में मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस अदालत ने माना है कि वादी द्वारा दायर घोषणा के लिए मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। मदनुरी रामा (उपरोक्त) के मामले में बिक्री विलेख को इस आधार पर रद्द करने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया था कि विचाराधीन संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है जिसे किसी निजी पक्ष को नहीं बेचा जा सकता है। उपरोक्त मामला सीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 54 के तहत सीमा से संबंधित नहीं है।

14. दूसरी ओर, गुणवंतभाई (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" 8. हम सीधे कह सकते हैं कि जिस तरीके से नीचे की अदालतों द्वारा सीमा के प्रश्न से निपटा गया है, वह अत्यधिक है। असंतोषजनक। यह उचित रूप से देखा गया कि मुकदमा सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 54 द्वारा शासित था। फिर, जांच होनी चाहिए थी, पहले, क्या बिक्री के लिए समझौते में प्रदर्शन के लिए कोई समय तय किया गया था, और यदि यह इतना तय था, तो यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि एक मुकदमा

तारीख के तीन साल से आगे दायर करने पर सीमा द्वारा रोक लगा दी गई थी जब तक कि उर्वशीबेन और ए. एन. आर.

वी. कृष्णकांत मनुप्रसाद त्रिवेदी [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

आर. के. पर्वतराज गुप्ता बनाम में हाल के निर्णय में। के सी जयदेव रेड्डी (2002) 2 एससीसी 428। हाथ में मामले में, कोई विवाद नहीं है कि समझौते में प्रदर्शन के लिए कोई तारीख तय नहीं की गई है और यदि ऐसा है, तो मुकदमे को केवल एक निष्कर्ष पर सीमा द्वारा वर्जित माना जा सकता है।

कि वादी ने नोटिस किया था कि प्रतिवादी समझौते के प्रदर्शन से इनकार कर रहे थे। सामान्य रूप से उस प्रकृति के मामले में, सीमा के प्रश्न का निर्णय साक्ष्य लेने और उस तारीख के रूप में निष्कर्ष दर्ज करने के बाद ही किया जा सकता है जिस दिन वादी को ऐसी सूचना मिली थी। हम इस तथ्य से बेखबर नहीं हैं कि वादी की ओर से एक बयान दायर किया गया प्रतीत होता है कि वे कोई सबूत नहीं देना चाहते थे। बेशक, प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाया कि वे भी कोई सबूत नहीं देना चाहते थे। जैसा कि हम इसे देखते हैं, निचली अदालत को इस प्रश्न पर पक्षकारों के प्रमुख साक्ष्य पर जोर देना चाहिए था या अदालत को दूसरे के साथ सीमा के मुद्दे पर विचार को स्थगित कर देना चाहिए था

मुकदमे के बाद मुकदमे में उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

उपरोक्त मामले में, यह स्पष्ट रूप से माना जाता है कि अनुच्छेद 54 के दूसरे अंग में आने वाले मामलों में निष्कर्ष को रिकॉर्ड करने के बाद ही दर्ज किया जा सकता है

सबूत। इस न्यायालय द्वारा व्यक्त उक्त दृष्टिकोण प्रतिवादी-वादी के मामले का समर्थन करता है। अनुच्छेद 42 और 43 में रत्नवती (उपर्युक्त) के मामले में निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि कब समय है

समझौते में तय नहीं किया गया है, विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमा दायर करने के लिए तीन साल की सीमा तब शुरू होगी जब वादी ने देखा होगा कि

प्रतिवादी ने समझौते के निष्पादन से इनकार कर दिया है। प्रस्तावित एल. आर. द्वारा अहमदसाहब अब्दुल मुल्ला (2) (मृत) के मामले में निर्णय में। वी. बीबीजान और Ors.[1]4 सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 54 की व्याख्या करते हुए, यह माना जाता है कि "प्रदर्शन के लिए निर्धारित तिथि" शब्द एक स्पष्टीकृत शब्द है।

धारणा। दूसरा भाग "वह समय जिससे अवधि शुरू होती है" एक ऐसे मामले को संदर्भित करता है जहां ऐसी कोई तारीख तय नहीं है। बालसारिया के मामले में

कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम हनुमान सेवा ट्रस्ट और अन्य। 15 और

छोटनबेन (ऊपर) इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि सीमा का मुद्दा, तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न होने के कारण, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के बाद ही तय किया जाना है।

14 (2009) 5 एस. सी. सी. 462 15 (2006) 5 एससीसी 658 [2018] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. उन निर्णयों में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करके जिन पर भरोसा किया गया

सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 के तहत दायर आवेदन पर निर्णय लेते समय इस स्तर पर मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। यह काफी अच्छी तरह से तय है कि इस पर केवल वाद में किए गए कथनों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और मामले में वाद में किए गए कथनों को पढ़ने से यह नहीं कहा जा सकता है कि वाद सीमा द्वारा वर्जित है। यह मुद्दा कि वादी ने इनकार कब देखा था, एक ऐसा मुद्दा है जिस पर मुकदमे के बाद निर्णय लिया जा सकता है। यह मानते हुए भी कि वादी की ओर से अत्यधिक देरी और अड़चनें हैं, यह सी. पी. सी. के O.VII आर. 11 (डी) के तहत शिकायत को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

16. उपरोक्त कारणों से, हम इसमें कोई अवैधता नहीं पाते हैं

उच्च न्यायालय का निर्णय, ताकि इन अपीलों में हस्तक्षेप किया जा सके। तदनुसार, इन अपीलों को खारिज कर दिया जाता है, योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने सीमा के मुद्दे सहित मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। यह निचली अदालत के लिए सीमा के मुद्दे सहित मुद्दों को तैयार करने और मामले को अपने गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए खुला है। जैसा कि कथित समझौता है

वर्ष 1992 में, निचली अदालत ने मुकदमे का यथासंभव शीघ्रता से निपटारा किया।

अंकित ज्ञान

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।